



2026:AHC:53982

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1577 / 2026

कमलेश

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सत्य प्रकाश सिंह, सीमा सिंह
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जितेंद्र कुमार, संजीव कुमार यादव, जी.ए.,
विमलेंद्र कुमार उपाध्याय

के साथ एक अन्य मामला सम्बद्ध।

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दोनों मामलों में न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथपत्रों को अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. हमने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश सिंह, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार यादव, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदकगण, **कमलेश और कोडाई** को मुकदमा अपराध संख्या 446/2025 अंतर्गत धारा 109, 115(2), 352 और 351(3) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - रौनापार, जिला - आजमगढ़ में विचारण के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, अभियुक्त-आवेदकगण और दो अन्य सह-अभियुक्त ने मोहम्मद अली को कठोर और कुंद वस्तु तथा धारदार हथियार फावड़ा (कुदाल) से चोट पहुंचाई है।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और घायल को फावड़ा (कुदाल) से चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदकगण की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि घायल के शरीर पर घाव और खरोंच पाए गए थे, लेकिन घायल मोहम्मद अली के बयान में मात्र सामान्य आरोप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, घायल मोहम्मद अली की एक्स-रे रिपोर्ट में मात्र एक गंभीर चोट, अर्थात चोट संख्या 3, बाएं कंधे के जोड़ में फ्रैक्चर के रूप में दर्ज की गई है और अन्य सभी चोटों को एनएडी के रूप में बताया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस में आवेदन के माध्यम से इस मामले में एक क्रॉस केस दर्ज किया गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि इस घटना में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 15.12.2025 से जेल/कारागार में हैं। इसके अतिरिक्त, विद्वान एजीए के अनुसार, इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। प्रस्तुति यह है कि विचारण के समापन में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदकगण की निर्दोषता का निर्णय पूर्व- विचारण स्तर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए वे किसी भी प्रकार की रियायत के पात्र नहीं हैं। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे।

7. प्रस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदकगण का नाम अन्य दो सह-अभियुक्त के साथ एफआईआर में दर्ज है, एफआईआर में या घायल मोहम्मद अली के

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बयान में गंभीर चोट या किसी अन्य चोट पहुंचाने के संबंध में अभियुक्त-आवेदकगण की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। क्रॉस केस, मुकदमा अपराध संख्या 32/2026, दोनों पक्षकारों के मध्य एक स्वीकृत तथ्य है। यह स्वीकार किया जाता है कि घटना में दोनों पक्षकारों को चोटें आई हैं। विद्वान एजीए के अनुसार, इस मामले में पहले ही आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष के साक्षियों को डराने-धमकाने और उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। अभियुक्त-आवेदकगण 15.12.2025 से जेल/कारागार में हैं और विचारण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम निदेशालय प्रवर्तन 2024 (एससी) लॉ सूट 677** मामले में पैराग्राफ संख्या 53, **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदकगण को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उनके व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।
- (iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप विरचित और (iii) अभियुक्त का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना ताकि उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदकगण और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

मार्च 17, 2026

अंकित.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।